लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण

एच0आई0जी0 64 सेक्टर–डी, मानसरोवर, कानपुर रोड, लखनऊ
फोन नं0 : 0522–2435514 फैक्स : 0522– 4070404

निर्माण अनुज्ञा पत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति के लिये प्रपत्र

सेवा में,

श्री आई0एच0 सिद्दीकी,
अधिकृत हस्ताक्षरी,
मैं0 एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0
द्वितीय तल, एल्डिको कॉरपोरेट चैम्बर–1, विभूति खण्ड,
गोमती नगर,
लखनऊ।

महोदय,

आपके आवेदन प्रपत्र संख्या–477 दिनांक 02.01.2018 जो सम्पत्ति सेक्टर/मौजा ग्राम एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर, नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में पूर्व स्वीकृत भू–विन्यास परमिट संख्या–409 दिनांक 20.10.15 एवं परमिट संख्या–424 दिनांक 02.11.2015 के भूखण्ड पर व्यवसायिक भवन (शॉपिंग एलान्ग स्ट्रीट) मानचित्र का मानचित्र क्षेत्रफल 2250.06 वर्गमीटर के अनुसार निर्माण/पुनः परिनिर्माण/मूलभूत परिवर्तन/ध्वस्तीकरण के लिए अनुज्ञा–पत्र की स्वीकृति से सम्बन्धित है, के सन्दर्भ में है, मुझे आपको यह सूचित करना है कि प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित शर्तों (सं0 1 सें 22) पर आपके आवेदन–पत्र पर व्यवसायिक भवन (शॉपिंग एलान्ग स्ट्रीट) मानचित्र स्वीकृति दिनांक 04.02.2021 को सक्षम स्तर से प्रदान की गयी है।

कार्यालय मुहर

हस्ताक्षर

09.02.2021

(नीलेश सिंह कटियार)
सहा0 नगर नियोजक

निमिषा शर्मा
उप महाप्रबन्धक (परि0)

कार्यालय संप्रेषण संख्या 1977

दिनांक 12/02/2021

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लखनऊ

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

संख्या ..../ल0औ0वि0प्रा0 दि0..........

निर्माणार्थ अनुमति – पत्र

यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिग वाईलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पडेगा अर्थात यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरूद्व कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ एल्डिको हाउसिंग एण्ड इण्डस्ट्रीज लि0 लखनऊ द्वारा ग्राम चन्द्रावल, नटकुर, नूरनगर भदरसा एवं बिजनौर, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ में पूर्व स्वीकृत भू–विन्यास परमिट संख्या–409 दिनांक 20.10.15 के भूखण्ड पर शॉपिंग एलान्ग स्ट्रीट जिसका क्षेत्रफल 2250.06 वर्गमीटर है, का व्यवसायिक भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दिनांक 02.01.2018 आवेदन पत्र संख्या–477 द्वारा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया है, चिन्हित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत (व्यवसायिक) मानचित्र का अनुमोदन पत्रावली संख्या 338/लीडा/सी.ई.ओ./2018–19 पर दिनांक 04.02.2021 को सक्षम स्तर से दिया जा चुका है।

सहा0 प्रबंधक (परि0) प्रबन्धक (परि0)

दिनांक

नोट–

1. यह स्वीकृत पत्र केवल पॉच वर्ष की अवधि के लिये है। यदि निर्माण आज्ञानुकूल नही बनी तो लीडा द्वारा उसे गिरवाया जा सकता हैं अथवा ऐसे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है जो कि समुचित समझा जावे। इसका पूर्ण व्यय का भार प्रार्थी पर होगा यदि कोई निर्माण बिना लीडा की अनुमति प्राप्ति किये निर्माणित अथवा पुनः निर्माणित होगा तो उनके निर्माणकर्ता को दण्ड दिया जावेगा अथवा इस प्रकार के अवज्ञामय निर्माण को लीडा द्वारा हटया जाएगा और उसके हटाने के खर्च का भार उन निर्माण बनाने वाले से बसूल किया जायेगा।

2. इस अनुमति पत्र के सड़क या गली पर बढ़ाकर प्रोजेक्शन जैसे पोर्टिको बारजा, तोड़ा सीढी, झाप नये अथवा पुराने निर्माण को तोड़कर उस जगह फिर नये निर्माण की स्वीकृति चाहें उसके साथ नक्शे में दिखाई भी गयी हो, नही प्रदान की जावेगी। इन निर्माणों के लिये प्राधिकरण अधिनियम की धारा के अनुसार अनुमति प्राप्त करना होगा।

3. निर्माण से यदि नाली की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग को निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो निर्माण के अगवाड़े पिछवाड़े अथवा उसके आकार के कारण टकली गई हो) हानि पहुचे तो यह निर्माण स्वामी को गत तैयार हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा शीघ्र कहा तो उसे पहले ही तोडकर अपने खर्च से मरम्मत कराकर पूर्ववत अवस्था में जिससे प्राधिकरण को संतोष हो जावें में कर देना होगा।

4. निर्माण के समय इसका ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1973 (अधिनियम इलेक्टिक सिटी रूल्स के निमय 1970 का उल्लघन किसी भी दशा में न होना चाहिये। यदि लीडा की जानकारी में ऐसे मामलें पाये गये तो वह निर्माण को रोक अथवा हटा सकता है।

5. प्रार्थी को नियमानुसार लीडा को निर्माण के पूर्ण हो जाने की सूचना निर्माण समय के भीतर पूर्ण होने के पश्चात 15 दिन के अंदर देना होगा। यदि सूचना न दी गयी तो यह समझा जायेगा कि निर्माण पूर्ण हो गया।

6. यह अनुमति किसी कारण वश नजूल प्राधिकरण अथवा जमीनदारी उन्मूलन के भूमि पर निर्माण हेतु दे दी गयी तो वैध न मानी जायेगी। और प्राधिकरण को अधिकार होगा कि ऐसे भूमि पर निर्माण आदि हटावें जिसका कोई हरजाना प्राधिकरण द्वारा देय न होगा। इस लिये भूमि स्वामी अपनी भूमि के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करके तभी निर्माण को प्रारम्भ करे।

7. आवेदक को अपने वित्त पोषण संबंधी बैंक/संस्था के विवरण की सूचना लीडा को देनी होगी।

8. आवेदक को स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही संबंधित सिविल इंजी0 व आर्की0 की देखरेख में निमार्णकार्य कराया जायेगा। तथा समय–समय पर कार्य की प्रगति से लीडा को अवगत करना होगा। विशिष्टियों गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी के लिये लीडा जिम्मेदार नही हेागा।

9. आवेदक का मानचित्र जिस उपयोग हेतु निर्धारित अवधि के लिये स्वीकृत किया गया है उस अवधि में कार्यपूर्ण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र फीस लीडा की भवन नियमावली 2009 के अनुसार आच्छादित क्षेत्रफल पर निर्धारित शुल्क प्रतिवर्ग मी0 देय होगा।

10. लीडा के सहा0 प्रबंधक परि0 द्वारा यदि किसी प्रकार का निरीक्षण किया जाता है तो आवेदक को पूर्ण सहयोग करना होगा।

11. लीडा की भवन नियमावली एवं अन्य शर्ते आवेदक को मान्य होगी।

12. किसी भी नियमो की अवहेलना करने पर आवेदक का मानचित्र अस्वीकृत माना जायेगा।

13. अग्निशमन प्रमाण पत्र संख्या–न0–यूपीएफएस/2020/25703/एलसीके/लखनऊ/ 1615/डीडी के शर्तो का अनुपालन किया जायेगा व कार्य पूर्ण होने के उपरान्त अग्निशमन विभाग से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करनी होगी।

14. बृक्षारोपण का अनुपालन किया जायेगा।

15. स्वीकृत मानचित्र की प्रति स्थल पर उपलब्ध रहेगी तथा अध्याय–2 के नियम 16 का पालन किया जायेगा।

16. अन्य आवश्यक शासकीय अनापत्ति आप द्वारा अवश्य प्राप्त की जायेगी।

17. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा लेबर सेस मॉगें जाने पर आवेदक प्राधिकरण कोष में जमा कराना होगा।

18. भविष्य में प्राधिकरण द्वारा वाहय विकासात्मक शुल्क के सम्बन्ध में कोई देयता होती है तो आवेदक द्वारा प्राधिकरण कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

19. आवेदक को 5 वर्ष की अवधि के भीतर पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
20. आवेदक द्वारा मानचित्र स्वीकृत करते समय जो भी साक्ष्य/प्रपत्र प्रस्तुत किये गये है, यदि साक्ष्य/प्रपत्र असत्य पाये जाते है तो मानचित्र स्वत निरस्त माना जायेगा।
21. प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र की शर्ते यथावत लागू रहेगी।
22. प्रस्तुत मानचित्र पूर्व स्वीकृत भू–विन्यास मानचित्र में प्रस्तावित है। अतः योजना विन्यास के अंदर 16120.00 वर्गमीटर ग्राम समाज की भूमि है जिसे विन्यास के दक्षिण पूर्वीय भाग में एकजाई कर दर्शाया गया है। भूमि को एकजाई किये जाने पर अनापत्ति सम्बधित ग्राम सभाओं द्वारा दी गयी है। जिला प्रषासन से सरकारी भूमि के एकजाई किये जाने के सम्बन्ध मे शासनादेश के अनुसार आवेदक द्वारा कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। एकजाई होने से पहले आवेदक द्वारा विक्रय नही किया जायेगा व सरकारी भूमि के एक्जाई कराने की कार्यवाही सम्पन्न होने के उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।

पत्र सं0 ..../लीडा/ए0सी0ई0ओ./338 दिनांक

प्रतिलिपि–

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. उप महाप्रबन्धक नियोजन को सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, लीडा लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. संबंधित सहा0प्रबंधक परि0 को इस आशय से प्रेषित कि मौके पर स्वीकृत मानचित्र एवं शर्ते के अनुसार ही निर्माण कार्य हो, को सुनिश्चित, कराये अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

सहा0 नगर (नियोजक) वरि0 प्रबन्धक (परि0)